

सेवा में,

820

04-01-23

प्रथम अपीलीय अधिकारी  
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
जिला गौतमबुध नगर उत्तर प्रदेश (203207)

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आधी अधूरी जानकारी दिए जाने के बाद प्रथम अपील:

श्रीमान प्रार्थी शैलेंद्र कुमार ने आपको इससे पहले प्रेषित किए गए पत्र दिनांक 14 - 10 - 2022 ( प्रति संलग्न) के माध्यम से कुछ प्रश्नों के जवाब जन सूचना अधिकारी महोदय से मांगे थे, जो निम्न प्रकार है -

(1) क्या ग्राम बिसाहड़ा दादरी के अंतर्गत क्षेत्र में नक्शा /मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र कार्यालय जिला पंचायत गौतम बुध नगर के पास है ?

(2) क्या ग्राम बिसाहड़ा दादरी के अंतर्गत क्षेत्र में नक्शा /मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र कार्यालय जिला पंचायत गौतम बुध नगर के पास है ? यदि है तो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति तो नहीं है ?


(3) क्या ग्राम बिसाहड़ा दादरी के अंतर्गत क्षेत्र में नक्शा / मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार क्षेत्र कार्यालय जिला पंचायत गौतम बुध नगर का निरस्त कर दिया गया है तो उस उत्तर प्रदेश शासनादेश की छायाप्रति प्रदान करके विस्तृत जानकारी दें ?

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्रांक नियोज/ आर-0टी 0आई 0/ 2022 / 365 दिनांक 27 दिसंबर 2022( प्रति संलग्न ) में प्रार्थी द्वारा मांगी गई संपूर्ण जानकारी ना देकर अपूर्ण व आधी - अधूरी जानकारी प्रदान की गई है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया संबंधित मामले में उचित आदेश देकर सटीक व संपूर्ण सूचना प्रदान करवाने की कृपा करें।

आपका भवदीय

दिनांक 04/01/2023



शैलेंद्र कुमार

पता फ्लैट नंबर बी -102 तीसरी मंजिल आरके पुरम,  
गोविंदपुरम गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ( 201013 )  
मो 0 - 99100 69307

APIC-SM(PLG)

R.F.- 21179

AMN.-3658

04/01/23